न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 35/2020

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
1. मुकेश पुत्र दैरामा राम जाति चौधरी निवासी कनाना जिला बाड़मेर (मैसर्स पटेल किराणा स्टोर, कनाना जिला बाड़मेर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 20.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स पटेल किराणा स्टोर, कनाना जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **20.10.2019** को विक्रय हेतु एक टीन में 10 किग्रा रखा गया खाद्य पदार्थ **घी (खुला)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 800 ग्राम **घी (खुला)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1118** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** का नमूना [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। [illegible] विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा [illegible] खाद्य पदार्थ **(खुला)** का नमूना **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** पाये ज[illegible] [illegible] जरिये नोटिस सूचना [illegible], जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:30:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नमूना की निर्दिष्ट प्रयोगशाला से पुनः जांच कराने का निवेदन किया। इस पर प्राप्त नमूना की जांच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर से जांच करवाई गई। निदेशक, नर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 07.02.2020 में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** होना बताया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया किन्तु अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया कि मेरे द्वारा उक्त घी माधव ट्रेडिंग कम्पनी कृषि मण्डी बालोतरा से क्रय किया गया। मेरे द्वारा उक्त घी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है तथा जिस हालत में पैकिंग खरीदा उसी हालत में पैकिंग बेचा जा रहा है। अतः मेरे विरूद्ध कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करावें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **02.11.2019** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना असुरक्षित खाद्य पाया गया। अप्रार्थी के निवेदन पर निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से पुनः जांच कराई गई जिसमें उक्त नमूना अवमानक श्रेणी का पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा जवाब में प्रकट किया है कि उसके द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ माधव ट्रेडिंग कम्पनी कृषि मण्डी बालोतरा से क्रय किया गया तथा उसके द्वारा इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है जबकि इस संबंध में कोई क्रय बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:30:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

(2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिरट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:30:50 IST
Reason: SelfAttested